

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—69/2018 (2018/00167) वादपत्र

अनवान

1. रेखाकंवर पत्नि प्रदीपसिंह चौहान निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज शंकरलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुखी बेवा शंकरलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कन्हैयालाल आत्मज हजारी माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदयलाल आत्मज हजारी माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीया



2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 14.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 02.09.2021 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4246/152 रकबा 0.57 है0 भूमि में विपक्षीगण के आवागमन हेतु समुचित रास्ता छोड़ते हुए वादीया का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.03.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीया अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीया अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।  विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया  प्रतीत होता है।




आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 4246/152/3 रकबा 0.22 है0 भूमि रेखाकवंर पत्नि प्रदीप सिंह चौहान सा. लड़की खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 4246/152/2 रकबा 0.33 है0 भूमि कैलाशचन्द्र पिता शंकरलाल 1/3 कन्हैयालाल उदयलाल 2/3 माली सा रायपुर खातेदार एवं आराजी संख्या 4246/152/1 शामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




14.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-69/2018 (2018/00167) वादपत्र

अनवान

1. रेखाकंवर पत्नि प्रदीपसिंह चौहान निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज शंकरलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुखी बेवा शंकरलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कन्हैयालाल आत्मज हजारी माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदयलाल आत्मज हजारी माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 4246/152/3 रकबा 0.22 है0 भूमि रेखाकंवर पत्नि प्रदीप सिंह चौहान सा. लड़की खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 4246/152/2 रकबा 0.33 है0 भूमि कैलाशचन्द्र पिता शंकरलाल 1/3 कन्हैयालाल उदयलाल 2/3 माली सा रायपुर खातेदार एवं आराजी संख्या 4246/152/1 शामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 14.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
14.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा